हिन्दुस्तान 11

(38)

महिलाएं कानून की जानकारी रखें : सिंह

बागेश्वर के जिला जज ने महिलाओं को दी कानून की जानकारी • हिन्दुस्तान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया लीगल लिटरेसी शिविर आयोजित

हमारे संवाददाता

बागेश्वर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माइक्रो लीगल लिटरेसी शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला जज जयदेव सिंह ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने को कहा। उन्होंने कहा कि शिविर का आयोजन जन जागरूकता को किया जाता है।

जन शिक्षण संस्थान सभागार में आयोजित शिविर में जिला जज सिंह ने कहा कि कानून की जानकारी होना सभी के लिए अनिवार्य है। विशेषकर महिलाओं को घरेलू हिंसा काननू की जानकारी शिविरों में दी जा रही है। उन्होंने महिलाओं से शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने को कहा।

एडवोकेट गोविंद उपाध्याय ने महिला हिंसा कानून की जानकारी दी। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिले इसके लिए संस्थान मेहनत कर रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई स्वरोजगार स्कीमें चलाई जा रही हैं।

माइक्रो लीगल लिटरेसी के तहत भी महिलाओं को समय-समय पर कानून आदि की जानकारी प्रदान की जा रही है। सूक्ष्म कानूनी सहायता शिविर महीने में चार बार आयोजित करने जरूरी हैं। इस तरह के शिविर मेला, गांव, स्कूल आदि स्थानों पर लगाए जा सकते हैं।

इस मौके पर सिविज जज जूनियर डिविजन मिथिलेश झा, एडवोकेट सुरेश कांडपाल के अलावा कई महिलाएं और छात्राएं मौजूद रहीं।